कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 455 / प्र.अ. / विधि(स्टेनो). / लोस्वायांवि. / 2024 भोपाल, दिनांक 18/09/2024

/ / आदेश / /

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन क्रमांक 23615 / 2023 (यशवंत पिता भगवान सिंह एवं 05 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड क्रमांक–1 मण्डलेश्वर खरगौन के अधीनस्थ कार्यरत 06 स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों क्रमशः (1) श्री यशवंत पिता भगवान सिंह, (2) श्री इंदर पिता पंचम सिंह, (3) श्री भूरे पिता भगवान सिंह, (4) श्री गजराज पिता भिलु सिंह पटेल, (5) श्री विजय पिता किशन सिहं एवं (6) श्री महादेव पिता ऐडु पाटीदार के द्वारा दायर की गई थी, में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2023 का निराकरण किया जा रहा है।

(1) श्री यशवंत पिता भगवान सिंह एवं 05 अन्य स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क्र. 23615 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

> (A) To issue appropriate writ/direction and order directing the respondent to grant the benefit of regularization of services to the petitoners and other benefits attached to the post as a regular employee.
>
> (B) Petition may kindly be allowed by cammanding the respondent to regularize the services of petitoner and confer benefits of minimum pay to the Petitoner with arrears and consequential benefits.
>
> (C) Any other relief which this Hon'ble Court deems fit in the facts and circumstances of the case may be awarded along with the cost of the petition.

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> 4. After hearing learned counsel for parties and taking into consideration the grievance of the petitioners, the present petition is disposed of with liberty to the petitioners to file a representation before the respondent No.2- Engineerin-Chief, PHE, Bhopal within one month from today and if such a representation is submitted by

the petitioners along with relevant circulars and order within aforesaid period, the respondent No.2 shall consider and decide the representation for regularization / classificastion as per Govt. circulars within a period of 3 months from the date of receipt of the representation bt passing a reasoned and speaking order.

(3) रिट याचिका क्र. 23615/2023 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के अनुक्रम में सभी वादी कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2023 को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

प्रति,

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

बाणगंगा, जेल रोड, भोपाल म.प्र.

महोदय,

हम यशवंत पिता भगवान सिंह, गजराज पिता भिलुसिंह, महादेव पिता एड्डु पाटीदार, भूरे सिंह पिता भगवान सिंह कुशवाह एवं इन्दर सिंह पिता पंचम सिंह सभी कर्मचारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डलेश्वर म.प्र. निवेदन करते है कि:–

1. यह कि, हम आपके अधीनस्थ 10 वर्षो से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किये गये थे। हमने माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर के समक्ष न्यूनतम वेतनमान के आधार पर वेतन प्राप्त करने हेतु याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में पारित निर्णय के आधार पर हमें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है।

2. यह कि, हमारी कुल सेवा अवधि 25 वर्ष से अधिक है। आपके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. अपील (सिविल) 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को पारित निर्णय के आधार पर विभागीय बैठक में हमसे कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमित श्रेणी का वेतनमान 4440–7440 ग्रेड–पे–1300 व अन्य सुविधा स्वीकृत कर उक्त वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया था। हम भी उक्त कर्मचारियों के समान वेतनमान पाने के पात्र होने के उपरांत भी हमें उक्त वेतनमान से वंचित रखा गया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि, कर्नाटक विरूद्ध उमादेवी के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में दिनांक 07.02.2013 के आदेश के तहत प्रार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमित किया गया, जिनमें से श्री देवनारायण भिलाजी एवं श्री नंदकिशोर कारपेंटर का नाम उक्त आदेश में उल्लेखित है, जो कि, संधारण

खण्ड मण्डलेश्वर में नियुक्त है और उन्हें 5200–20200 ग्रेड–पे 1800 स्वीकृत किया गया। आदेश दिनांक 07.02.2013 की प्रति इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न है।

3. यह कि, आप म.प्र. शासन का विभाग होकर आपका यह संवैधानिक दायित्व है कि अब प्रत्येक कर्मचारी के प्रति समानता का व्यवहार करे, किन्तु आपने हमारे प्रति भेदभाव का व्यवहार करते हुए हमें संवैधानिक अधिकारें से वंचित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 7370–7378/2022 किरण वासुदेव विरूद्ध ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रकरण में दिनांक 03.12.2021 को पारित निर्णय में इस तरह की भेदभाव पूर्ण नीति की आलोचना करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि–

> Heaving heard learned counsel for the parties, this Court is of the opinion that the impugned judgment to the extent that it held the direction cannot be issued for the creation of a post including a supernumerary post is warranted. Nevertheless equally GDA as an authority and bound by the provision of Article 14 of the Constitution could not have permitted discrimination against one of its employees given that other employees- who were concededly juniors to the appellant: were regularized pursuant to the order of Labour Court. The award was complied with, without demur.
>
> In the circumstances, the Court hereby allow this appeal in part to the extent that the regularization benefits given to the appellant are not confined to the terms of the order dated 06.07.2019. It would be in line with the order dated 23.10.2004 issued in favour of the other employees.
>
> In other words, the appellant shall be entitled to all regularization benefits with effect from the same dates as her 4 juniors were given by virtue of the order dated 23.10.2004. The differential pay-scales fitment and pay revision order shall be issued within four weeks, and consequential benefits including monetary benefits, be granted in eight weeks.
>
> The appeals are partly allowed to the above extent.

4. यह कि, राज्य सरकार के सरक्युलर दिनांक 29.09.2014 के अनुसार मूल परिपत्र दिनांक 16.05.2007 की कंडिका कं. 5.5 में निम्नानुसार परन्तुक जोडा गया, जो कि, इस प्रकार है:–

> कंडिका 5.5 "परन्तु दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिस पद/संवर्ग में कार्यरत और उस संवर्ग का पद रिक्त ना होकर अन्य कोई समकक्ष पद रिक्त है और वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उस रिक्त पद की निर्धारित योग्यता निर्धारण करता है, तो उस समकक्ष रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जायें।"

उपरोक्त सरक्युलर दिनांक 29.09.2014 की छायाप्रति इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि, उपरोक्त आधार पर प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 23615/2023 नियमितीकरण हेतु प्रस्तुत की थी, जिसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2023 को किया गया। आदेशानुसार प्रार्थी को यह निर्देशित किया गया कि, प्रार्थी एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिप्रार्थी कं. 2 के समक्ष प्रस्तुत करें और प्रतिप्रार्थी क्र. 2 को यह आदेशित किया गया कि, उक्त आदेश के प्राप्त होने पर आदेश पारित करें। निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां उद्धृत किया गया है एवं निर्णय की छायाप्रति अभ्यावेदन के साथ संलग्न है।

> 2. It is submitted that petitioners are working as daily wagers from 1986 to 1994. It is further stated that certain employees have been classified 'appointed' subsequent to the petitioners.
>
> The petitioners have completed uninterrupted service for more than 25 years and all are eligible for regularization/classification as per Government circular dated 16.5.2007. The petitioners have sent the legal notice through counsel.
>
> 3. Counsel for the State submits that petitioners have directly approached this Court before filing any representation before the competent authority.
>
> 4. After hearing learned counsel for parties and taking into consideration the grievance of the petitioners, the present petition is disposed of with liberty to the petitioners to file a representation before the respondent No.2-Engineerin-Chief, PHE, Bhopal within one month from today and if such a representation is submitted by the petitioners along with relevant circulars and orders within aforesaid period, the respondent No.2 shall consider and decide the representation for regularisation/classification as per Govt. circular within a period of 3 months from the date of receipt of the representation by passing a reasoned and speaking order.

अतः इस अभ्यावेदन के अनुसार आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार इस अभ्यावेदन का निराकरण 3 माह के भीतर करने की कृपा करें और हम प्रार्थीगण का नियमितीकरण उपरोक्तानुसार करने की कृपा करें और उक्त नियमितीकरण से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों को देने की कृपा करे।

(4) रिट याचिका कमांक 23615/2023 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड कमांक–1 मण्डलेश्वर खरगौन के अधीनस्थ कार्यरत सभी वादी कर्मचारियों के अभ्यावेदन का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) आपके द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह शिकायत प्रस्तुत की गई है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी/अस्थायी कर्मचारियों के

नियमितीकरण के संबंध में परिपत्र क्रं. एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16.05.2007 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2008 के आधार पर वर्ष 2013 में आपसे कनष्ठि कर्मचारियों को नियमित श्रेणी का वेतनमान व अन्य सुविधाये स्वीकृत की गई है, किन्तु आपको समान वेतनमान पाने के पात्र होने के उपरांत भी उक्त वेतनमान से वंचित रखा गया है।

इस संबंध मे आपको अवगत कराया जाता है कि वर्ष 2013 में परिपत्र दिनांक 06.09.2008 के अनुपालन में विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण, कार्यभारित/नियमित स्थापना के पद पर किया गया था। उक्त परिपत्र में ट्रेडवार सूची बनाकर वरिष्ठता के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही का उल्लेख था जिसमें आपका वरिष्ठताक्रम पीछे होने के कारण आपका नियमितीकरण नहीं हो पाया था।

(ii) आपने नियमितीकरण की पालिसी दिनांक 16.05.2007 में जोड़े गये अंतिम परन्तुक जो समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख था:–

> **"दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिस पद/संवर्ग में कार्यरत और उस संवर्ग में पद रिक्त न होकर कोई अन्य समकक्ष पद रिक्त है और वह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उस रिक्त पद की निर्धारित योग्यता धारण करता है तो उस समकक्ष रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जावे।"**

के आधार पर भी अपने नियमितीकरण का दावा प्रस्तुत किया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय की पदों की रिक्तता एवं नियमितीकरण हेतु शेष रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार समग्रता से विश्लेषण एवं आकलन उपरांत इस परिपत्र के अनुपालन में परिक्षेत्र स्तर पर नियमितीकरण की कार्यवाही नही की गई थी।

(iii) यह भी पाया गया है कि परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के अनुसार तत्समय (वर्ष 2014 में) आपके द्वारा रिक्तियों, शैक्षणिक योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर कार्यभारित/नियमित स्थापना के किसी पद पर नियमितीकरण के लिये कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया था, जिस पर तत्समय की परिस्थितियों के अनुसार ही विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकता था।

(iv) आपके द्वारा माह मार्च 2013 से दिनांक 07.03.2023 तक भी आपका नियमितीकरण किये जाने अथवा आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किये जाने संबंधी कोई अभ्यावेदन अधीनस्थ कार्यालय अथवा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया है। उपरोक्तानुसार यह पाया जाता है कि विभाग द्वारा तत्समय की गयी नियमितीकरण की कार्यवाही एवं आपका नियमितीकरण नहीं किये जाने पर आपकी विगत 10 वर्षो तक पूरी तरह से "मौन सहमति" रही है।

(v) विभाग द्वारा जिस समय (दिनांक 07.02.2013 को) आपसे कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमित किया गया था तथा आपके साथ भेदभाव का व्यवहार हुआ था, उसी समय अथवा अधिकतम 06 माह के भीतर आपके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने/माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। किन्तु आपके द्वारा इस संबंध में प्रथम अभ्यावेदन दिनांक 07.03.2023 को एवं रिट याचिका दिनांक 12.09.2023 को प्रस्तुत की गई है। परिसीमा अधिनियम 1963, के अनुसार इस प्रकृति के मामलों में Cause of Action उत्पन्न होने के दिनांक (दिनांक 07.02.2013) से अधिकतम 03 वर्ष के भीतर ही माननीय न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रकृति का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से नया Cause of Action उत्पन्न नही होता है। उपरोक्तानुसार, आपके द्वारा Cause of Action उत्पन्न होने के 10 वर्षो के पश्चात रिट याचिका दायर की गई है। आपके द्वारा इस भांति प्रस्तुत किया गया दावा "मौन सहमति", "अत्याधिक विलंब" एवं "अवधि बीत जाने" के आधार पर ही विचार किये जाने योग्य नहीं है।

(vi) म.प्र. शासन द्वारा नियमितीकरण पालिसी दिनांक 16.05.2007, वर्ष 2016 में जारी किये गए म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं. एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 — कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजनां" के माध्यम से पूरी तरह से परिमार्जित की जा चुकी है ।

(vii) वर्तमान में विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु निम्न दो योजनायें प्रचलित है :–

(अ) <u>विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत करने तथा स्थायी वर्गीकरण से सम्बन्धी लाभ देने सम्बन्धी योजना</u>

पी.एच.ई. विभाग में पानी की पाईप लाईन बिछाई जाती है। पानी की टंकियों का निर्माण किया जाता है। हैंडपंप ट्यूबवेल की ड्रिलिंग का कार्य होता है। निर्माण कार्यो के संपादन हेतु बड़ी–बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। विभाग में 100 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्य की प्रकृति एवं कर्मचारियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये विभाग इंजीनियरिंग उद्योग की परिधि में आता है।

राज्य शासन के नोटिफिकेशन 4747 1230–16–ए दिनांक 6 अगस्त 1980 द्वारा म.प्र औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं)

अधिनियम 1961, नियम 1963 को राज्य के सभी उपक्रमों पर लागू किया गया है। विभाग एक उपक्रम है तथा उस पर मानक स्थायी आज्ञाओं के प्रावधान लागू होते हैं।

उपरोक्तानुसार विभाग के इंजीनियरिंग उद्योग की परिधि में आने तथा इसके एक उपक्रम होने के कारण, विभाग पर म .प्र शासन द्वारा श्रमिक विधियों के अंतर्गत बनाये गए **म. प्र ओद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 1960 एवं म.प्र औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963** काफी पूर्व से ही विभाग पर लागू होते है।

विभाग में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना कोई स्वीकृत पद या पद योग्यता के एवं बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रक्रिया के कार्य की आवश्यकतानुसार नियोजित कर लिये जाते हैं, उन दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के नियम लागू नहीं होते है, इसलिए उन पर म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963 लागू होते है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थायी आज्ञाएं, जो राज्य शासन के सभी उपक्रमों के लिए बनायीं गयी है, के स्थायी आदेश कमांक 2 में कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं स्थाई कर्मचारी को परिभाषित किया गया है। मानक स्थायी आज्ञाओ के मानक स्थायी आदेश कमांक 2(i) अथवा 2(vi) के अतंर्गत कोई दैनिक वेतन भोगी श्रमिक शर्ते पूरी करता है तो वह स्थाई रूप में वर्गीकृत होता है।

जहॉं तक दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी वर्गीकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही का प्रश्न है, यह सामान्यतः दो प्रकार से की जा सकती है :–

(a) माननीय श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण कर, वाद बिन्दु तय कर, उभयपक्षों के साक्ष्य उपरांत श्रम कानून के अंतर्गत आदेश पारित कर किसी दिनांक विशेष से वादी श्रमिक को स्थायी वर्गीकृत घोषित किया जा सकता है।

(b) मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों/निर्देशों के आधार पर नियोजक द्वारा स्थायी वर्गीकरण का आदेश पारित किया जा सकता है।

म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थाई आदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थाई

वर्गीकृत किये जाने पर उसे क्या वेतन देय होगा, यह उक्त अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। तत्समय दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता था।

मान. उच्चतम न्यायालय की अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 में स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को पद के ग्रेडेड वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) देने के आदेश दिए गए थे । उक्त न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन में विभागीय स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनकी उक्त स्टेटस अवधि का पद के ग्रेडेड वेतनमान के न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) के अनुसार भुगतान किया गया है ।

किसी भी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थायी वर्गीकृत करना उसका किसी भी रूप में राज्य शासन की नियमित सेवाओं में नियमितीकरण नहीं है तथा ऐसा करने से उसके स्टेटस में परिवर्तन होने की बजाय वह मात्र कुछ सुविधाओं और बढ़े हुए वेतन का पात्र बनता है, स्टेटस दैनिक वेतन भोगी ही बना रहता है । किसी भी रूप में राज्य शासन द्वारा बनाये गए सेवा नियमो के आधीन नहीं आता है ।

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 में** माननीय न्यायलय द्वारा अपने पूर्व निर्धारित प्रकरण **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006** का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रकिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं, उनके द्वारा की गई नियमितीकरण की मांग मान्य किये जाने योग्य नहीं है । निर्णय निम्नानुसार है :–

> 3. The case of the appellant is that he was engaged in 1980 as a Supervisor, on daily rated basis, under a project of the State Water Resources Department of Madhya Pradesh. The appellant sought regularization on the post of Supervisor/Time Keeper. Admittedly, the minimum qualification for the said post was matriculation with mathematics; a qualification which the appellant did not possess. These qualifications were relaxed by a Government Circular dated 31.12.2010 and the appellant sought his regularization

on the post of Supervisor/Time Keeper, as he was qualified for the post and had been working on daily wage basis for a long period of time. In fact, in another writ petition (W.P. 13997/2010) filed by the appellant earlier, the High Court of Madhya Pradesh vide order dated 02.11.2017, had given directions to the State Government to decide the claim of the writ petitioner in accordance with law. Vide order dated 18.06.2018 issued by the Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, the claim of the appellant for regularization was rejected for the reasons that though the minimum qualifications of matriculation with mathematics will not come in the way for his regularization, but the fact remains that the appellant was never appointed against any post. Moreover, his appointment was never made by the competent authority and there were no posts available at the time for regularization. The appellant on the other hand, had set his claim for regularization as persons who were junior to him as daily wagers were regularized in the year 1990 or even before. The learned Single Judge while allowing the writ petition gave directions for regularization of the appellant from the date on which his juniors were regularized. This order was challenged by the State Government before a Division Bench which allowed the appeal of the State Government. The Division Bench rightly held that the learned Single Judge has not followed the principle of law as given by this Court in **Secretary, State of Karnataka and Ors. v. Umadevi and Ors.** , as initial appointment must be done by the competent authority and there must be a sanctioned post on which the daily rated employee must be working. These two conditions were clearly missing in the case of the present appellant. The Division Bench of the High Court therefore has to our mind rightly allowed the appeal and set aside the order dated 27.06.2019.

4. In view of the law laid down by the Constitution Bench of this Court in **Uma Devi** (supra), the appellant had no case for regularization. There is no scope, hence, for our interference with the order of the

Division Bench of the Madhya Pradesh High Court. Appeal is dismissed.

उपरोक्तानुसार स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हे पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन का लाभ दिया गया है, **उमादेवी (सुपरा)** प्रकरण के आधार पर नियमित स्थापना के पदों पर संविलियन की पात्रता नहीं रखते है ।

(ब) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से लाई गयी "कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"

पूर्व में म.प्र.शासन के कार्य विभाग (Works Departments) ही म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत आते थे तथा इन विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माननीय श्रम न्यायालयों अथवा प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत घोषित होने के उपरांत उन्हें स्थायी पद का वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता आती थी ।

वर्ष 2016 में, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से सभी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत लाया गया है तथा उनके लिए **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जारी की गयी है जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये है। वेतनमान निम्नानुसार है :–

अकुशल श्रेणी	4000–80–7000
अर्द्धकुशल श्रेणी	4500–90–7500
कुशल श्रेणी	5000–100–8000

इस योजना में कर्मचारी को पूर्व की सेवा अवधि की एरियर राशि भुगतान का प्रावधान नहीं रखा गया है बल्कि पूर्व की सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि दिए जाने का प्रावधान है।

यद्धपि इस योजना में शामिल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रक्रिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं, तथापि योजना का विस्तार सभी विभागों के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तक होने के कारण, राज्य शासन द्वारा इस योजना को अधिक लाभदायक, कल्याणकारी और कर्मचारी हितैषी बनाते हुए इसमें शामिल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों अथवा इसका चयन करने वाले स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया **(जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर)** के माध्यम से, नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए है ।

(स) विभाग के स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध विकल्प

विभाग के अधीनस्थ कार्यरत स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु ऊपर उल्लेखित दोनो ही योजनाओं कंडिका vii(अ) तथा कंडिका vii(ब) में सम्मिलित होने के विकल्प खुले हुऐ है, किंतु विभाग द्वारा यह नीति अपनायी गयी है कि किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को दोनो योजनाओं का दोहरा लाभ देने के स्थान पर उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कोई भी एक योजना का लाभ दिया जावे।

विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी **जिन्हें माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थाई वर्गीकृत नहीं किया गया है,** उनके लिए मात्र कण्डिका vii(ब) में उल्लेखित **"कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** का ही विकल्प उपलब्ध है।

(द) याचिकाकर्ता कर्मचारियों के स्टेटस के संबंध में स्पष्टीकरण

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड कमांक–1 मण्डलेश्वर खरगौन के अधीनस्थ कार्यरत 06 याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों कमशः (1) श्री यशवंत पिता भगवान सिंह, (2) श्री इंदर पिता पंचम सिंह, (3) श्री भूरे

पिता भगवान सिंह, (4) श्री गजराज पिता भिलु सिंह पटेल, (5) श्री विजय पिता किशन सिहं एवं (6) श्री महादेव पिता ऐड्डु पाटीदार को स्थाई वर्गीकृत किया गया है।

उक्तानुसार उनके पास कंडिका vii(अ) तथा कंडिका vii(ब) में उल्लेखित दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प था। उनके द्वारा कंडिका vii(अ) में उल्लेखित योजना का चयन किया गया है ।

(इ) <u>कंडिका</u> <u>vii(अ) एवं vii(ब) के आधार पर नियमितीकरण की स्थिति का आंकलनः—</u>

ऊपर कंडिका vii(अ) में उल्लेखित प्रथम योजना में स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है। मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023** के अनुसार स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों कमशः (1) श्री यंशवत पिता भगवान सिंह, (2) श्री इंदर पिता पंचम सिंह, (3) श्री भूरे पिता भगवान सिंह, (4) श्री गजराज पिता भिलु सिंह पटेल, (5) श्री विजय पिता किशन सिहं एवं (6) श्री महादेव पिता ऐड्डु पाटीदार की नियमितीकरण की मांग मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उनके द्वारा ऊपर उल्लेखित दूसरी योजना कंडिका vii(ब) का लाभ लिया गया होता तो भविष्य में उनका चयन संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नियमित पद पर संविलियन हेतु किये जाने पर उन्हें नियमितीकरण संबंधी लाभ प्राप्त हो सकते थे।

<u>(5) याचिका कर्ता कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से चाहे गये लाभों का अंतिम निर्धारण</u>

संपूर्ण विचारोपरांत वादी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किये गये नियमितीकरण के दावे को "मौन सहमति", "विलंब" एवं अवधि बीत जाने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के आधार पर अमान्य करते हुये निरस्त किया जाता है।

13.3.2024

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 8763 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 18/09/2024

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, खरगौन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कमांक–1 मण्डलेश्वर, खरगौन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

5 श्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड कमांक–1 मण्डलेश्वर खरगौन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

12.9.2024

प्रमुख अभियंता

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषयः मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1999, सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही बाबत्।

सन्दर्भःसामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. एफ 5–3/2004/एक/3, भोपाल, दिनांक 12.4.2005 ।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3492/1996 हिमांचल प्रदेश सरकार विरूद्ध सुरेश कुमार वर्मा के प्रकरण में दी गई व्यवस्था अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, श्रमिकों के सिविल पदों एवं सेवाओं में नियमितीकरण पर रोक लगाकर नियमितीकरण के संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त निर्देशों/आदेशों को निरस्त किया गया है।

2/ मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1999, सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04. 2006 को निर्णय पारित कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुख्य अंशों की जानकारी परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। **मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावे। इस प्रकरण में दी गई व्यवस्था अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। मा. सर्वोच्च न्यायालय** का पूर्ण आदेश **http://supremecourtofindia. nic.in/** वेबसाईट पर उपलब्ध है, तथा **(2006) 4 scc1** पर प्रकाशित है।

3/ मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार एवं इनके नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी **केवल एक ही बार के लिए** 10 वर्षो या अधिक से <u>नियमानुसार स्वीकृत पदों</u> पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की **अनियमित नियुक्तियों** (Irregular appointments) को **{(अवैधानिक नियुक्तियों** (Illegal appointments) **को नही)}** नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रकार के नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी। वर्तमान में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृत नियमित पदों, जहां पर अस्थाई कर्मचारी अथवा दैनिक वेतन भोगी भर्ती किए जा रहे हैं, वहां पर केवल भर्ती नियमों के अनुसार ही नियमित नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। **भविष्य में नियमितीकरण एवं स्थाई सेवा में लिए जाने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं एवं संविधान की मंशानुसार किए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।** मा. सर्वोच्च न्यायालय व्दारा यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियमितीकरण पूर्व में किया गया है एवं न्यायालयों में विचाराधीन नहीं है, ऐसे प्रकरणों को मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

4.1/ **अवैधानिक नियुक्ति** से तात्पर्य है कि – "संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध न हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्त्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो।" उदाहरणार्थ –

- पद स्वीकृत न होना
- आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई भर्ती।
- नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना।
- भर्ती नियम अनुसार अर्हता न होना।
- नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति।
- कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो।

यह सूची उदाहरणस्वरूप है न कि पूर्ण है।

4.2/ **अनियमित नियुक्ति** से तात्पर्य है – "ऐसी नियुक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 तथा 309 के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा नियुक्ति हेतु निर्मित नियमों में से किसी ऐसे नियम से हटकर नियुक्ति दी गई हो जो मूल आधार को प्रभावित

dhar

नहीं करता हो या नियमों के अभाव में प्रक्रिया अपनाए बिना या भर्ती के प्रक्रियागत नियमों का पालन किए बगैर की गई हो। प्रकिया का पालन किए बगैर जो नियुक्ति की गई हो वह अनियमित नियुक्ति की श्रेणी में आएगी। अर्थात् नियुक्त किया गया व्यक्ति पात्र तो है लेकिन भर्ती की कोई एक–दो तरह की सामान्य प्रकिया नहीं अपनाने से ऐसी भर्ती अनियमित नियुक्ति कहलाएगी।"

किसी पद पर नियुक्ति हेतु आधारभूत अर्हताओं को प्रभावित किए बगैर, सक्षम प्राधिकारी व्दारा किसी प्रकियागत नियमों का पालन किए बगैर स्वीकृत रिक्त पद के उपलब्ध होने पर अस्थायी, संविदा नियुक्ति अथवा किसी विशेष कार्य/योजना के निमित्त दैनिक वेतन पर अस्थायी नियुक्ति, संविदा नियुक्ति, स्थानापन्न नियुक्ति, उस पद के लिए वांछित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति दी हो तो वह अनियमित नियुक्ति कहलायेगी। उदाहरणार्थ–

- किसी प्रकियागत नियमों का उल्लंघन किया जाना जो मूलभूत आधार को प्रभावित न करता हो
- किसी नियम मात्र का उल्लंधन किया हो जो प्रकियागत ऐसी त्रुटि न हो कि मूल आधार को ही प्रभावित करती हो।

5/ पैरा –3 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है एवं निम्नानुसार कार्यवाही **केवल एक ही बार के लिए** सुनिश्चित की जावे :–

5.1 दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में प्रत्येक विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा **मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं उक्त निर्देशों के परिप्रक्ष्य में परीक्षण कर** ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई जाकर पैरा 5.2 अनुसार **छानबीन समिति को प्रस्तुत की जावे,** जो–

- 10 वर्ष से अधिक से निरंतर सेवारत हैं किंतु इनमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं किए जावें, जो न्यायालय/न्यायिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत हों,
- जिन्हें स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध रखा गया है,
- जिस पद पर रखा गया है उस पद की भर्ती नियमों के अनुसार अर्हता रखता हो,
- जिस समय रखा गया उस समय शासन के आदेशानुसार निर्धारित आयु सीमा हो,
- जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों अनुसार सक्षम प्राधिकारी व्दारा की गई हो,
- जिस वर्ग (अजा/अजजा/पिछड़ वर्ग/अनारक्षित) का रिक्त पद है वह उसी वर्ग से संबंधित हो,

- जो अभी न्यायालयीन स्थगन के आधार पर सेवारत न हो।
- **विभागाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सूची मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं उक्त निर्देशों के अनुरूप हो।**

5.2 संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक विभाग द्वारा एक छानबीन समिति गठित की जावे, (जिसमें संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव/सचिव के मत में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों) तथा सामान्य प्रशासन, वित्त एवं विधि विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य रखा जावे। यह समिति पैरा–3 से पैरा–5 के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में ऐसे प्रकरणों की छान–बीन करेगी जो विभागाध्यक्ष व्दारा पैरा– 5.1 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

5.3 **नीचे उल्लेखित कंडिका–12 की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत** छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी व्दारा नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी। **यह नियमितीकरण जारी आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा। पूर्व की सेवा, पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के लिए इस हेतु मान्य नहीं होगी। नियमितीकरण होने पर नियमितीकण के आदेश के दिनांक से संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन से वेतनमान आरंभ होगा।**

5.4 छानबीन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमितीकरण केवल अनियमित नियुक्त (Irregular Appointed) का ही किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अवैधानिक नियुक्त (Illegal Appointed) पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

5.5 नियमितीकरण नियमानुसार स्वीकृत नियमित पद, जिस वर्ग के लिए रिक्त है एवं जिसके विरूद्ध उसी संवर्ग का दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी जो 10 वर्ष या अधिक से कार्यरत हैं, पर ही किया जाना है, अन्य पर नहीं। जो पद भर्ती नियम में संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध है उन पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार नियमितीकरण के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष एवं नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

5.6 10 वर्षों की सेवा की गणना में उन दैनिक वेतनभोगी/अस्थायी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जावे, जिनका न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा सेवारत रखे जाने का आदेश पारित किया गया है, एवं प्रकरण अभी विचाराधीन है।

5.7 दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी लंबी अवधि से कार्य कर रहे हैं एवं सामान्यतः इन कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी नहीं रखे जाते हैं, जिसके आधार पर इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसी स्थिति में कोई

लिखित परीक्षा या साक्षात्कार लेने की आवश्यकता नहीं है। चयन सूचियां यह मानकर तैयार की जावें कि इनका कार्य संतोषजनक रहा है, बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कोई आपत्तिजनक स्थिति प्रकाश में नहीं आई हो। आपत्तिजनक स्थिति ध्यान में आने पर नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जावे।

5.8 संबंधित पद की नियुक्ति के लिए नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं अनिवार्य होंगी। जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह नियुक्ति आरंभ से ही अवैधानिक है।

5.9 उपरोक्तानुसार नियमित व्यक्ति की विभाग में ज्येष्ठता नियमितीकरण के आदेश की तारीख से मानी जाएगी अर्थात उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति को नियमित नियुक्ति किए जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।

5.10 वरिष्ठताक्रम निर्धारित करते समय यदि 2 व्यक्तियों की सेवा अवधि समान हो तो उनमें से जो आयु में अधिक होगा उसको वरिष्ठ माना जावेगा।

5.11 भविष्य में भर्ती नियमों के अनुसार नियमित पदों पर केवल नियमित नियुक्ति ही की जावे। नियमित पदों पर दैनिक वेतन भोगी/संविदा आदि से नियुक्ति न की जावे।

5.12 भविष्य में कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की अस्थायी या संविदा नियुक्ति किसी विशेष कार्य हेतु, समय विशेष के लिए भी आकस्मिक नियुक्ति, करना हो तो भी भर्ती के सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए ही भर्ती की जावे, जिससे सभी योग्य लोगों को प्रतिस्पर्द्धा का मौका मिल सके।

6/ समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा इन निर्देशों की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में पैरा 5.1 अनुसार दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की सूची विभागीय छानबीन समिति को प्रस्तुत की जावेगी।

7/ समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा छानबीन समिति को सूची प्रस्तुत होने के पश्चात् 15 दिवस की अवधि में छानबीन समिति प्रस्तुत सूची पर इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपना अभिमत देना सुनिश्चित करें।

8/ उपरोक्त पैरा–7 अनुसार तैयार की गई विभागाध्यक्षवार इकजायी जानकारी समस्त विभाग दिनांक 30 जून, 2007 तक सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–3) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

9/ सभी विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण कर ली गई है। **उपरोक्तानुसार कार्यवाही केवल एक समय के लिए सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।**

10/ मा. सर्वोच्च न्यायालय व्दारा शासन के नियंत्रणाधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के व्दारा भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव उनके नियंत्रणाधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी स्तर पर मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय स्तर से निर्देश जारी करेंगे एवं इस हेतु इन संस्थाओं के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेंगे, ताकि सर्वोच्च न्यायालय का इन संस्थाओं में पालन हो सके। इसके लिए विभाग स्तर पर 5.2 के अनुसार छानबीन समिति प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित की जावे।

11/ परिपत्र की कंडिका–8 की जानकारी प्रपत्र **"एक"** में तथा कंडिका– 10 की जानकारी प्रपत्र **"दो"** में प्रेषित की जाए।

12/ विभागों से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मंत्रि–परिषद निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यवाही हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जावेगें। **इसके पूर्व कोई भी विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं करेंगे।**

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क0 एफ. 5–3/2006/1/3 भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/ अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण / अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

CASE NO.:
Appeal (civil) 3595-3612 of 1999

PETITIONER:
Secretary, State of Karnataka and others

RESPONDENT:
Umadevi and others

DATE OF JUDGMENT: 10/04/2006

BENCH:
Y.K. SABHARWAL ARUN KUMAR G.P. MATHUR, C.K. THAKKER & P.K. BALASUBRAMANYAN

JUDGMENT:
J U D G M E N T

WITH
CIVIL APPEAL NO.1861-2063/2001, 3849/2001,
3520-3524/2002 and CIVIL APPEAL NO. 1968 of 2006
arising out of SLP(C)9103-9105 OF 2001

P.K. BALASUBRAMANYAN, J.

Leave granted in SLP(C) Nos.9103-9105 of 2001

1. Public employment in a sovereign socialist secular democratic republic, has to be as set down by the Constitution and the laws made thereunder. Our constitutional scheme envisages employment by the Government and its instrumentalities on the basis of a procedure established in that behalf. Equality of opportunity is the hallmark, and the Constitution has provided also for affirmative action to ensure that unequals are not treated equals. Thus, any public employment has to be in terms of the constitutional scheme.

2. A sovereign government, considering the economic situation in the country and the work to be got done, is not precluded from making temporary appointments or engaging workers on daily wages.......... But, a regular process of recruitment or appointment has to be resorted to, when regular vacancies in posts, at a particular point of time, are to be filled up and the filling up of those vacancies cannot be done in a haphazard manner or based on patronage or other considerations. Regular appointment must be the rule.

dnaf

But, sometimes this process is not adhered to and the Constitutional scheme of public employment is by-passed.......... It has also led to persons who get employed, without the following of a regular procedure or even through the backdoor or on daily wages, approaching Courts, seeking directions to make them permanent in their posts and to prevent regular recruitment to the concerned posts. Courts have not always kept the legal aspects in mind and have occasionally even stayed the regular process of employment being set in motion and in some cases, even directed that these illegal, irregular or improper entrants be absorbed into service. A class of employment which can only be called 'litigious employment', has risen like a phoenix seriously impairing the constitutional scheme.......... It is time, that Courts desist from issuing orders preventing regular selection or recruitment at the instance of such persons and from issuing directions for continuance of those who have not secured regular appointments as per procedure established. The passing of orders for continuance, tends to defeat the very Constitutional scheme of public employment. It has to be emphasized that this is not the role envisaged for High Courts in the scheme of things and their wide powers under Article 226 of the Constitution of India are not intended to be used for the purpose of perpetuating illegalities, irregularities or improprieties or for scuttling the whole scheme of public employment. Its role as the sentinel and as the guardian of equal rights protection should not be forgotten.

4. This Court has also on occasions issued directions which could not be said to be consistent with the Constitutional scheme of public employment. Such directions are issued presumably on the basis of equitable considerations or individualization of justice. The question arises, equity to whom? Equity for the handful of people who have approached the Court with a claim, or equity for the teeming millions of this country seeking employment and seeking a fair opportunity for competing for employment? When one side of the coin is considered, the other side of the coin, has also to be considered and the way open to any court of law or justice, is to adhere to the law as laid down by the Constitution and not to make directions, which at times, even if do not run counter to the Constitutional scheme, certainly tend to w...er down the Constitutional requirements. It is this conflict that is reflected in these cases referred to the Constitution Bench.

10. ....The States have made Acts, Rules or Regulations for implementing the above constitutional guarantees and any recruitment to the service in the State or in the Union is governed by such Acts, Rules and Regulations. The Constitution does not envisage any employment outside this constitutional scheme and without following the requirements set down therein.

11. In spite of this scheme, there may be occasions when the sovereign State or its instrumentalities will have to employ persons, in posts which are temporary, on daily wages, as additional hands or taki ıg them in without following the required procedure, to discharge the duties in respect of the posts that are sanctioned and that are required to be filled in terms of the relevant procedure established by the Constitution or for work in temporary posts or projects that are not needed permanently. This right of the Union or

of the State Government cannot but be recognized and there is nothing in the Constitution which prohibits such engaging of persons temporarily or on daily wages, to meet the needs of the situation. But the fact that such engagements are resorted to, cannot be used to defeat the very scheme of public employment. Nor can a court say that the Union or the State Governments do not have the right to engage persons in various capacities for a duration or until the work in a particular project is completed. Once this right of the Government is recognized and the mandate of the constitutional requirement for public employment is respected, there cannot be much difficulty in coming to the conclusion that it is ordinarily not proper for courts whether acting under Article 226 of the Constitution or under Article 32 of the Constitution, to direct absorption in permanent employment of those who have been engaged without following a due process of selection as envisaged by the constitutional scheme.

12. .... It cannot also be forgotten that it is not the role of courts to ignore, encourage or approve appointments made or engagements given outside the constitutional scheme. In effect, orders based on such sentiments or approach would result in perpetuating illegalities and in the jettisoning of the scheme of public employment adopted by us while adopting the Constitution. The approving of such acts also results in depriving many of their opportunity to compete for public employment.

13. .... Learned counsel for the State of Karnataka submitted that chaos has been created by such orders without reference to legal principles and it is time that this Court settled the law once for all so that in case the court finds that such orders should not be made, the courts, especially, the High Courts would be precluded from issuing such directions or passing such orders. .... It is necessary to put an end to uncertainty and clarify the legal position emerging from the constitutional scheme, leaving the High Courts to follow necessarily, the law thus laid down.

14. Even at the threshold, it is necessary to keep in mind the distinction between regularization and conferment of permanence in service jurisprudence. In STATE OF MYSORE Vs. S.V. NARAYANAPPA [1967 (1) S.C.R. 128], this Court stated that it was a mis-conception to consider that regularization meant permanence. In R.N. NANJUNDAPPA Vs T. THIMMIAH & ANR. [(1972) 2 S.C.R. 799], this Court dealt with an argument that regularization would mean conferring the quality of permanence on the appointment. This Court stated:-

"Counsel on behalf of the respondent contended that regularization would mean conferring the quality of permanence on the appointment, whereas counsel on behalf of the State contended that regularization did not mean permanence but that it was a case of regularization of the rules under Article 309. Both the contentions are fallacious. If the appointment itself is in infraction of the rules or if it is in violation of the provisions of the Constitution, illegality cannot be regularized. Ratification or regularization is possible of an act which is within the power and province of the authority, but there has been some non-compliance with procedure or manner which does not go to the root of the appointment. Regularization cannot be said to be a mode of recruitment. To accede to such a proposition would be to introduce a new head of appointment in defiance of rules

or it may have the effect of setting at naught the rules." In B.N. Nagarajan & Ors. V. State of Karnataka & Ors. [(1979) 3 SCR 937], this court clearly held that the words "regular" or "regularization" do not connote permanence and cannot be construed so as to convey an idea of the nature of tenure of appointments. They are terms calculated to condone any procedural irregularities and are meant to cure only such defects as are attributable to methodology followed in making the appointments. This court emphasized that when rules framed under Article 309 of the Constitution of India are in force, no regularization is permissible in exercise of the executive powers of the Government under Article 162 of the Constitution in contravention of the rules. These decisions and the principles recognized therein have not been dissented to by this Court and on principle, we see no reason not to accept the proposition as enunciated in the above decisions. We have, therefore, to keep this distinction in mind and proceed on the basis that only something that is irregular for want of compliance with one of the elements in the process of selection which does not go to the root of the process, can be regularized and that it alone can be regularized and granting permanence of employment is a totally different concept and cannot be equated with regularization.

15. .... This right of the executive and that of the court, would not extend to the executive or the court being in a position to direct that an appointment made in clear violation of the constitutional scheme, and the statutory rules made in that behalf, can be treated as permanent or can be directed to be treated as permanent.

17. One aspect arises. Obviously, the State is also controlled by economic considerations and financial implications of any public employment. The viability of the department or the instrumentality or of the project is also of equal concern for the State. The State works out the scheme taking into consideration the financial implications and the economic aspects. Can the court impose on the State a financial burden of this nature by insisting on regularization or permanence in employment, when those employed temporarily are not needed permanently or regularly?.......... So, the court ought not to impose a financial burden on the State by such directions, as such directions may turn counter-productive.

19. ....The Court appears to have been dealing with a scheme for 'equal pay for equal work' and in the process, without an actual discussion of the question, had approved a scheme put forward by the State, prepared obviously at the direction of the Court, to order permanent absorption of such daily rated workers. With respect to the learned judges, the decision cannot be said to lay down any law, that all those engaged on daily wages, casually, temporarily, or when no sanctioned post or vacancy existed and without following the rules of selection, should be absorbed or made permanent though not at a stretch, but gradually. If that were the ratio, with respect, we have to disagree with it.

23. .... in connection with particular project, on completion of that work or of that project, those who were temporarily engaged or employed in that work or project

could not claim any right to continue in service and the High Court cannot direct that they be continued or absorbed elsewhere.

24. .... Appointment on daily wage basis is not an appointment to a post according to the Rules." Their Lordships cautioned that if directions are given to re-engage such persons in any other work or appoint them against existing vacancies, "the judicial process would become another mode of recruitment dehors the rules."

29. ....there was no power in the State under Art. 162 of the Constitution of India to make appointments and even if there was any such power, no appointment could be made in contravention of statutory rules. This Court also held that past alleged regularisation or appointment does not connote entitlement to further regularization or appointment. It was further held that the High Court has no jurisdiction to frame a scheme by itself or direct the framing of a scheme for regularization.

34- ....Therefore, consistent with the scheme for public employment, this Court while laying down the law, has necessarily to hold that unless the appointment is in terms of the relevant rules and after a proper competition among qualified persons, the same would not confer any right on the appointee. If it is a contractual appointment, the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were an engagement or appointment on daily wages or casual basis, the same would come to an end when it is discontinued. Similarly, a temporary employee could not claim to be made permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the term of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules. It is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose period of employment has come to an end or of ad hoc employees who by the very nature of their appointment, do not acquire any right. High Courts acting under Article 226 of the Constitution of India, should not ordinarily issue directions for absorption, regularization, or permanent continuance unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme. Merely because, an employee had continued under cover of an order of Court, which we have described as 'litigious employment' in the earlier part of the judgment, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the service. In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief, it may be possible for it to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment would hold up the regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee wl.. is really not required. The courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or lend themselves the instruments to facilitate the bypassing of the constitutional and statutory mandates.

39. .... Those who are working on daily wages formed a class by themselves, they cannot claim that they are discriminated as against those who have been regularly recruited on the basis of the relevant rules. No right can be founded on an employment on daily wages to claim that such employee should be treated on a par with a regularly recruited candidate, and made permanent in employment, even assuming that the principle could be invoked for claiming equal wages for equal work. There is no fundamental right in those who have been employed on daily wages or temporarily or on contractual basis, to claim that they have a right to be absorbed in service.

40. ....It is therefore not possible to accept the argument that there must be a direction to make permanent all the persons employed on daily wages. When the court is approached for relief by way of a writ, the court has necessarily to ask itself whether the person before it had any legal right to be enforced.

44. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments (not illegal appointments) as explained in S.V. NARAYANAPPA (supra), R.N. NANJUNDAPPA (supra), and B.N. NAGARAJAN (supra), and referred to in paragraph 15 above, of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work for ten years or more but without the intervention of orders of courts or of tribunals. The question of regularization of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this Court in the cases above referred to and in the light of this judgment. In that context, the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularize as a one time measure, the services of such irregularly appointed, who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders of courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up, in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed. The process must be set in motion within six months from this date. We also clarify that regularization, if any already made, but not subjudice, need not be reopened based on this judgment, but there should be no further by-passing of the constitutional requirement and regularizing or making permanent, those not duly appointed as per the constitutional scheme.

45. It is also clarified that those decisions which run counter to the principle settled in this decision, or in which directions running counter to what we have held herein, will stand denuded of their status as precedents.

प्रपत्र "एक"

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 14/5/2007 क अनुपालन में छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित जानकारी.

1. विभाग का नाम..

2. विभागाध्यक्ष का नाम ....

क.	पदनाम	विभाग में कुल दैनिक वेतनभोगी/ अस्थाई/ संविदा नियुक्तियों की संख्या	कॉलम (3) में 10 वर्ष से अधिक की अवधि से निरन्तर कार्यरत की संख्या	समिति द्वारा नियमितीकरण हेतु उपयुक्त पाये गये प्रकरणों की संख्या	नियमितीकरण हेतु शेष बचे कर्मचारियों की संख्या. (कॉलम नं. 3–4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

प्रपत्र "दो"

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 14/5/2007 के अनुपालन में छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित जानकारी.

1. विभाग का नाम..

2. स्थानीय संस्था/निगम/मण्डल/बोर्ड/आयोग का नाम

क.	पदनाम	विभाग के अंतर्गत संस्थाओं में कुल दैनिक वेतनभोगी/अस्थाई/ संविदा नियुक्तियों की संख्या	कॉलम (3) में 10 वर्ष से अधिक की अवधि से निरन्तर कार्यरत की संख्या	समिति द्वारा नियमितीकरण हेतु उपयुक्त पाये गये प्रकरणों की संख्या	नियमितीकरण हेतु शेष बचे कर्मचारियों की संख्या. (कॉलम नं. 3–4)
1.	2.	3.	4.	4.	5.

शाकेमुभो—223—विकअसाप्रवि—17-5-07—1000.

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1361 / 1380 / 2008 / 1-3 भोपाल, दिनांक 1/7/08

प्रति,

प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल

विषयः— माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्वारा प्रकरण कमांक अपील (सिविल) 3595-3612 / 1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.4.2006 को पारित निर्णय के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थयी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही करने के संबंध में ।

संदर्भः— इस विभाग का ज्ञापन कमांक 5-3 / 2006 / 3-1, दिनांक 16.5.07,8.2.08 एवं 4.4.08

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित निर्देशों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जो आपको भी संबोधित है ।

2— उपरोक्त संदर्भित निर्देशों के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि "यदि किसी विभाग के पद अस्थाई है और उन पर तदर्थ नियुक्ति की गई हैं तथा 10 साल से अधिक उनका नवीनीकरण किया जाता रहा है तो ऐसे पदों के संबंध में भी नियमितिकरण की कार्यवाही की जा सकती है । परन्तु कर्मचारी को स्थाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पद स्थाई नहीं है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठकमांक 1362 / 1380 / 2008 / 1-3 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः—

समस्त जिलाधीशों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 06 सितम्बर 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय :- दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण ।
संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन दिनांक एफ 5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 8.2.2008.

::0::

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क. अपील (सिविल) 3595-3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के आधार पर संदर्भित ज्ञापनों द्वारा दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। ज्ञापन दिनांक 16 मई 2007 के पैरा-5 (1) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के संबंध में निर्देश है। इन निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन दैनिक वेतन भोगियों को स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध रखा गया है उनके नियमितीकरण के संबंध में छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

2. शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि :-

(1) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्हें नियुक्ति दिनांक को पद उपलब्ध न होने के कारण नियमित नहीं किया जा रहा है, को वर्तमान में पद उपलब्ध होने की स्थिति में रोस्टर का पालन करते हुए वरिष्ठता कम में नियमित किया जाए।

(2.) चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितिकरण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा।

(3) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को कमशः रूपये 500/- तथा 1000/- विशेष भत्ते के रूप में दिया जाए। यह विशेष भत्ता दिनांक 01.09.2008 से देय होगा।

2/...

[redacted]

×

कृपया उपरोक्तानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अर्कीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ.5–3 / 2006 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 6 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,म.प्र. जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
3. सचिव , लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव,म.प्र. राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव,म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव / सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय,म.प्र. भोपाल,
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निजं सचिव / निज सहायक,म.प्र.भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,म.प्र. भोपाल,
10. सचिव,म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग,भोपाल,
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर,
13. महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर / भोपाल,
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव,सा.प्र.वि.मंत्रालय,भोपाल,
15. उपसचिव / अवरसचिव,स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्यलेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय,भोपाल,
16. मुख्य सचिव के सचिव,मंत्रालय,भोपाल,
17. आयुक्त,जनसम्पर्क संचालनालय,म.प्र.भोपाल,
18. अध्यक्ष,म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति,भोपाल,
19. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(व्ही.एस. सावनेर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग